श्री राजनारायण : श्रीमान्, हमारा निवेदन है, जैसा कि आडवाणी जी ने प्रिविलेज के बारे में कहा, आप जानते हैं कि अर्लियेस्ट अपार्चुनिटी प्रिवलेज के मामले में ली जाती है . . .

श्री उपसभापति : लेकिन उन्होंने अर्लियेस्ट अपार्चुनिटी ले ली और उस पर कार्य हो गया।

श्री राजनारायण : तो इसको अर्लियेस्ट निपटाना चाहिए। कल हमने भी एक प्रिविलेज का मामला दिया है, लेकिन हमको उसका आज कोई उत्तर नहीं दिया। मैं समझता था आज उत्तर मिल जाएगा।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh) : Sir, I am not raising any privilege issue, but as a Member of Parliament I have to preserve my credibility. If 1 said something and something is contradicted and if something else comes, then I have every right to place the facts before the House so that there is no misunderstanding. 1 would like to draw your attention to an unstarred question . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, no, Mr. Swamy. There is a procedure for it.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : It is a personal explanation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : A personal explanation can be given then and there if you are present.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : 1 want to say . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please | listen to me. I know what is a personal i explanation. If something is said about you and if you are present in the House. then and there you may make a personal explanation. If you are not there, you have to take the permission of the Chairman and then only you can make it.

MOTION FOR ELECTION TO THE ANIMAL WELFARE BOARD

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI KEDAR NATH SINGH) : Sir, I beg to move the following motion :—

"That in pursuance of clause (i) of sub-section (1) of section 5 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one member from among the members of the House to be a member of the Animal Welfare Board".

The question was proposed.

DR. M. R. VYAS (Maharashtra) : I would like to say that we appoint Members on this Animal Welfare Board and other Boards unrJer statutory rules and regulations. After all, Parliament is delegating somebody to be on these Boards with a view to implementing the Acts passed by Parliament. As a Member of one of the statutory bodies affiliated to this very body, I find that the mdney allotted is so miserable that you cannot look after the Act and also curry out the duties as a Member. I would like to draw the Minister's attention to that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That in pursuance of clause (i) of sub-section (1) of section 5 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one member from among the members of the House to be a member of the Animal Welfare Board."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2.15 P.M.

The House then adjourned for lunch ai twenty-one minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at eighteen minutes past two of the clock, Mr. Deputy Chairman in the (hair.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE SICK TEXTILE UNDERTAKINGS, (NATIONALISATION)ORDINANCE, 1974 (NO. 12 of 1974)— *Contd.*

II. THE SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) KILL. *[914—contd.*

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा (मध्य प्रदेश) : मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, सिक टेक्सटाइल्स अंडरटेकिंग्स के नेशनलाइजेशन का जो यह बिल लाया गया हैं और उनका जो नेशनलाइजेशन किया जा रहा हैं उस का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं क्योंकि यह मिल्स बड़ी खराब हालत में थी और इस के कारण, उन मिलों के बार-बार बंद होने के कारण, मजदूरों के लिए अनइंप्लायमेंट की भीषण समस्या पैदा करती थी। मध्य प्रदेश में राजनंद गांव की मिल, जिस का टेक ओवर किया गया हैं, उस के कारण मजदूरों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और इसी प्रकार की इंदौर की मिल की भी यही स्थिति थी, लेकिन उपसभापति महोदय, प्रथम बात मैं इस बिल के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इस का कोई ठीक आधार नहीं हैं। किस आधार पर मिल्स का टेक ओवर कर के उन का नेशनलाइजेशन किया जायगा इस के लिए शासन ने जो आधार अपनाये हैं वह ठीक नहीं हैं। जो राजनंद गांव की मिल हैं या बरहानपुर की मिल हैं उससे भी खराब हालत में मध्य प्रदेश में मिलें हैं और उन को टेक ओवर नहीं किया गया हैं।

जब टेक ओवर वाला बिल आया था तो मैंने अमेंडमेंट दिया कि जिन दो मिलों के बारे में संशोधन प्रस्तुत किया था उनकी हालत बहुत खराब हैं, इतनी खराब हैं कि वह मजदूरों का वेतन तक नहीं दे सकती। वह मिल मालिक मजदूरों को पैसे दे नहीं सकते। उनके ऊपर इतना कर्जा चढ़ा हुआ हैं कि जिसके कारण वह मिल चला नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी उन मिलों का टेक ओवर नहीं किया गया। वे मिलें हैं मालवा मिल और कल्याण मिल। लेकिन आपने स्वदेशी मिल का टेक ओवर कर लिया हैं। तो ये जो सिक मिल आप कहते हैं, कैसे आप उनको सिक निर्धारित करते हैं। इसका ठीक अनुमान शासन के द्वारा अपनाया गया, ऐसा दिखाई नहीं देता। इसके कारण बहुत गड़बड़ हैं। उज्जैन की दीपचन्द मिल की हालत इतनी खराब हैं तो उसका टेक ओवर नहीं किया और बाद में मिल मालिकों ने उसको दूसरों को बेच दिया। गये दो सालों में भारी मुनाफा टेक्सटाइल्स मिल्स ने कमाया हैं और उसके बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति आज भी खराब दिखाई नहीं देती हैं। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में निष्पक्षता से विचार करके मजदूरों के हितों का ख्याल करते हुए उनका टेक ओवर करना चाहिए। जो मालिक मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं कर सकते, जो अपनी फाइनेंशल पोजिशन को ठीक प्रकार से मेनटेन नहीं कर सकते, ऐसी मिल्स का टेक ओवर करके शासन को ठीक प्रकार से उनको चलाना चाहिए।

दूसरे, इसके अन्दर आपने कंपेंसेशन की बात कही हैं। अनेक मित्रों ने कंपेंसेशन क्लाज का विरोध किया हैं। मैं कहूंगा कि इसका कोई बेसिस दिखाई नहीं देता। यह बात ठीक हैं कि संविधान में संशोधन करने के बाद रीजनेबुल कंपेंसेशन वाली बात पर कोर्ट्स के अन्दर चैलेंज करने वाली बात नहीं रही। इसको रीजनेबुल कंपेंसेशन नहीं माना जा सकता हैं। उसका आधार क्या हैं। स्वदेशी मिल्स का कंपेंसेशन आपने 1 हजार रुपये रखा हैं, आइटम 100 पर तो इंदौर मिल का आपने किस आधार पर 94 लाख रुपया कंपेंसेशन रखा हैं। उन मिलों के बारे में, जैसे बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनंदगांव हैं जिसकी हालत बहुत खराब हैं, बहुत मुश्किल से वह चल रही थी गवर्नमेंट ने उसको 69 लाख रुपये का कंपेंसेशन रखा हैं। बरहामपुर को 86 लाख, इंदौर मिल को 94 लाख, कल्याण-मल मिल को 90 लाख दे रहे हैं, लेकिन स्वदेशी मिल को केवल 1000 रुपये के-